P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-6 * (Part-1) February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रभाव"ीलता का अध्ययन
(बिलासपुर नगर निगम के संदर्भ में)

पूर्णिमा साहू
शोधार्थी,
राजनीति विज्ञान विभाग,
डॉ.सी.वी.रामन् वि"वविद्यालय,
करगीरोड, कोटा, बिलासपुर
(छ.ग.), भारत

संध्या जायसवाल
शोध निर्दे"ाका एवं
विभागाध्यक्ष,
राजनीति विज्ञान विभाग,
डॉ.सी.वी.रामन् वि"वविद्यालय,
करगीरोड, कोटा, बिलासपुर
(छ.ग.), भारत

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में छत्तीसगढ़ के न्यायधानी के रूप में बिलासपुर नगर निगम में सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रभाव"ीलता का अध्ययन किया गया है। नगर निगम बिलासपुर एक बहुत बड़ी जनसंख्या लगभग 1961922 को प्राथमिक सुविधाएं प्रदान करता है। इन सुविधाओं को प्रदान करने के लिए नगर निगम अत्याधिक संख्या में योजनाएं और प्रोजेक्ट लागू करवाता है। अतः नगर निगम बिलासपुर जनता से लिए गये करों के माध्यम से अर्जित आय से इन कार्यों को करवाता है। जनता को यह ज्ञात करने का हक है कि नगर निगम कैसे और किन चरणों में इन योजनाओं को लागू करता है। इसके लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक कारगार तंत्र है। अतः यह शोध कार्य यह ज्ञात करने के लिए किया गया है कि क्या सूचना का अधिकार अधिनियम नगर निगम बिलासपुर में उचित रूप से लागू हो रहा है।

मुख्य शब्दः सूचना का अधिकार अथात् राईट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार ,जो सूचना अधिकार लागू करने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना का अधिकार के तहत राष्ट्र अपने नागरिकों को अपने कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है।

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद में 15 जून,2005 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। यह अधिनियम 21 जून,2005 को भारतीय राजपत्र में प्रकाि"ात हुआ। अब यह सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों/रिकॉर्डस में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार देता है, जम्मू का"मीर को छोड़कर भारत के सभी भागों में यह अधिनियम लागू है। प्रत्येक नागरिक सरकार को किसी न किसी माध्यम से कर देता है यहां तक एक सुई से लेकर माचिस तक का हिसाब कर अदा करती है। सड़क पर भीख मांगने वाला भिखारी भी जब बाजार से कोई सामान खरीदता है, तो बिक्री कर उत्पाद कर इत्यादि कर अदा करता है। यही कर दे"ा के विकास और व्यवस्था की आधारि"ाला को निरन्तर स्थिर रखता है इसलिए जनता को यह जानने का पूरा हक है कि उनके द्वारा दिया गया पैसा कहां और किस प्रकार खर्च किया जा रहा है? इसके लिए जरूरी है कि सूचना को जनता के समक्ष रखने एवं जनता को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया जाए, जो एक कानून द्वारा ही संभव है।

भोध का उद्दे"य

1. नगर निगम में सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन करने में आने वाली समस्याओं का अध्ययन।
2. नगर निगम में सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं।
3. जनता की समस्याओं को दूर करने में कितना कारगार हुआ।
4. सूचना के अधिकार लागू होने पर नगर निगम के कार्यों पर क्या प्रभाव पड़ा।

भोध प्रविधि

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6 * ISSUE-6 * (Part-1) February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

प्रस्तुत शोध में शोध उद्दे”यों की पूर्ति हेतु बिलासपुर नगर निगम के कार्यों में सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रभाव”ीलता का अध्ययन करने के लिए, बिलासपुर नगर निगम का चयन किया गया है। जिसकी कुल जनसंख्या1961922 में से 200 व्यक्तियों का चयन निद”ीन पद्धति से किया गया है तथा चयनित में से एक समूह जोनल अधिकारियों का तथा दूसरा समूह आवेदकों का होगा। जिससे सूचना का अधिकार अधिधिनियम की पभाव”ीलता बिलासपुर नगर निगम के संदर्भ में, नगर निगम बिलासपुर की कार्य”ैली में क्या परिवर्तन आया है का अध्ययन किया गया।

परिकल्पना

प्रस्तुत कार्य में निम्न परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया –

1. सूचना के अधिकार लगाने की जटिल प्रक्रिया से परे”ाानी आ रही है।
2. नगर निगम के कार्य शैली में सूचना के अधिकार द्वारा परिवर्तन हुआ है।
3. नगर निगम के कर्मचारियों को सूचना के अधिकार का पर्याप्त ज्ञान नहीं है।
4. सूचना के अधिकार एक लंबी प्रक्रिया है।

सूचना के अधिकार का इतिहास

सन् 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के प”चात् 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ लेकिन संविधान निर्माताओं ने संविधान में इसका कोई भी वर्णन नहीं किया और न ही अंग्रेजों का बनाया हुआ शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 का संसोधन किया। आने वाली सरकारों ने गोपनीयता अधिनियम 1923 की धारा 5 व 6 के प्रावधानों का लाभ उठाकर जनता से सूचनाओं को छुपाती रही।

सूचना के अधिकार के प्रति सजगता वर्ष 1975 के शुरूआत में उत्तर प्रदे”ा सरकार बनाम राज नारायण से हुई। मामले की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हुई, जिसमें न्यायालय ने अपने आदे”ा में लोक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कार्यों का व्यौरा जनता को प्रदान करने की व्यवस्था किया। इस निर्णय ने नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दायरा बढ़ाकर सूचना के अधिकार को शामिल कर दिया।

राश्ट निर्माण में सूचना के अधिकार का मूल्यांकन

1. सूचना के अधिकार के इस्तेमाल से नागरिकों को जानकारी के आधार पर फैसले करने का मौका मिला,इससे लोकतंत्र की जड़ें और गहरी हुई।
2. अनुमान है कि हर साल लगभग 50–80 लाख आर टी आई अर्जियां डाली जाती है इससे कानून की लोकप्रियता साबित हुई।
3. आर टी आई का असर पंचायत से लेकर संसद तक साबित हो गया इससे लाल फीता”ााही दूर करने और अफसर शाही की टालमटोल के रवैये को दूर करने में मदद मिली।
4. हमारा पैसा, हमारा हिसाब और हम जानेंगे,हम जिएगें जैसे नारों ने जीने के मालिक हक और सूचना के अधिकार के बीच के जोड़ को और मजबूत किया।
5. आर टी आई कमजोरों का सबसे ताकतवर हथियार बन गया है, इसने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर सवाल उठाने के लिए हर जगह नागरिकों को ताकत दी है।

सुझाव

1. सूचना का अधिकार अधिनियम के पति जनता का जागरूक होना नितांत आव”यक है क्योंकि जब जनता जागरूक होगी तभी प्र”ाासन में पारद”िर्ाता आएगी।
2. जनता द्वारा चाही गई जानकारी स्पष्ट हो, जिससे कि जन सूचना विभाग सूचना उपलब्ध करा सके।
3. प्र”ाासन में पारद”िर्ाता तभी आएगी जब जनता सूचना के अधिकार अधिनियम का दुरूपयोग ना करे। और प्र”ाासन को सहयोग प्रदान करे।

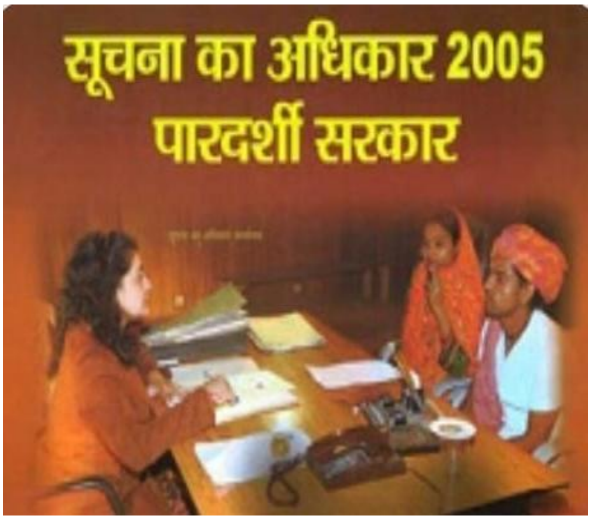

निश्कर्श

बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायधानी के रूप में प्रसिद्ध है, इस कारण तेजी से विकसित होते इस शहर में विकास हेतु नगर निगम जनसामान्य के द्वारा चुकाए जा रहे करों को विकास के लिए आव”यक वित्त

के रूप में कर रहा है। अतः यह प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वह यह ज्ञात कर सके कि चुकाए जा रहे करों को किस प्रकार से किन–किन स्थानों पर प्रयोग किया जा रहा है पारदर्''िता से ज्ञात किया जा सके। यह शोध कार्य यह ज्ञात करने का प्रयास किया कि सूचना का अधिनियम किस प्रकार से बिलासपुर नगर निगम की कार्य''ौली में सकारात्मक परिवर्तन लाने और जन सामान्य की कठिनाइयों को सरल करने में प्रभावी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

जैसवाल जी.चंद, मीडिया (केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की त्रिमासिक मासिक पत्रिका) प्रका''ाक : केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, दिल्ली, प्रवे''ाांक। अप्रैल – जून 2006

भसीन अनी''ा, जानिए मानवाधिकारों को प्रका''ाक : प्रभात प्रका''ान, 2011

सिंह जे.पी. ,समाज''ाास्त्र : अवधारणा एवं सिद्धांत, पी.एच. आई. लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, 2013

फाड़िया डॉ.बी.एल. लोकप''ासन, साहित्य भवन पब्लिके''ान,2013

सिंग, हर्ष कुमार (2015) Twenty years of the right to information movement in India NDTV Home page,April 06 .

गुप्ता डॉ.सुरूचि,समझें RTI अधिकार, जनवरी,2016

कुमार डॉ.नीरज, सूचना का अधिकार एक परिदृ''य,प्रका''ाक भारत बुक सेंटर, जनवरी 2018

पाठक आ''ाीष, सूचना का अधिकार क्या है सूचना का अधिकार, प्रका''ाक : रचनाकार पब्लिसिंग हाऊस, जनवरी 2018